

न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

क्र. नं० ५/२०२२ प्राप्तिस्थानांतरण उनवान सेडूराय बनाम श्री रजनी लक्ष्मी देवी

नं० व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

०१-५-२२ पत्रावली पत्र दुई बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अधिकता प्रची अथवा प्रची में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रु नं० ७०/२००८ वाद उनवानी कन्हैया बनाम शास्त्री को अन्य लक्षण न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु प्रची सेडूराय पुत्र श्रीया लाल ब्राह्मण निवासी शेखपुरा तहसील बहरावडा जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रचीना पत्र स्थानांतरण अदम टाजरी एवं अदम वैरवी में खारिज किया जाता है। निर्वय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुभार की जाकर नम्बर से कम घे एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे। निर्वय आज दिनांक ०१-५-२२ को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर. के. मीना)  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा

